संख्या– 643 /XV-2/08(15)/2007

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग– 02

देहरादून, दिनांक 30 मई 2011:

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2011–12 स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत तालाब निर्माण, प्रशिक्षण, साहित्य एवं विचार गोष्ठी फील्ड ट्रिप आदि की स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–94/अनु0जाति/2011–12, दिनॉक 21–4–2011 एवं प्रमुख सचिव, वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31–3–2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में मत्स्य विभाग को स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत मत्स्य पालन संबंधी कार्यक्रम योजनान्तर्गत तीन माह हेतु निम्न कार्यों हेतु ₹ 12.50 लाख (₹ बारह लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए इसे आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

धनराशि (लाख ₹ में)

क0सं0	मद का नाम	धनराशि
1.	मैदानी तालाब निर्माण	6.25
2.	पर्वतीय तालाब निर्माण	6.25
	कुल योग :–	**12.50**

(कुल ₹ बारह लाख पचास हजार मात्र)

1. अवमुक्त की जा रही धनराशी की फॉट निदेशक, मत्स्य द्वारा करके आहरण एवं वित्तीय अधिकारियों तथा शासन को अवगत कराया जायेगा ।

2. धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहॉ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए। शासन द्वारा समय–समय पर जारी मितव्ययता संबंधी निर्देशों का पालन अवश्य किया जायेगा।

3. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अन्तर्गत कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक प्रतिमाह की 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–13 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

4. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याक्षा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमो एवं क्रय संबंधी शासनादेशों का पालन किया जायेगा। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

5. अवमुक्त की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2012 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाणक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

6. विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीध्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जायेगी एवं कोई भी भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जायेगा ताकि मासिक आधार पर व्यय की सूचना परिलक्षित होने से अनुपूरक मॉग के समय सही निर्णय लिया जा सके।

2– उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2405–मछली पालन–00–आयोगनागत–101–अन्तर्देशीय मछली पालन–03–मत्स्य पालन संबंधी कार्यक्रम–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नाम डाला जायेगा।

3–यह आदेश प्रमुख सचिव, वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31–3–2011 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या : 643 /XV-2/08(15)2007 तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डालायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ ऑफिसर–प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास विभाग को अवगत कराने हेतु।
4. निजी सचिव–मंत्री, मत्स्य विभाग को मा0 मंत्री जी को अवगत कराने हेतु।
5. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
6. कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0बी0 ओली)
संयुक्त सचिव।